पत्र सं०–6 एस०एस०(6)74 / 2026–5470

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक),
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–08 / 10 / 2026.

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– **वित्त विभाग।

विषय :– **सात निश्चय–3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण राशन की उपलब्धता हेतु कॉम्फेड के संघों एवं इकाईयों में 20 MTPD क्षमता के 05 साईलेज–सह–टी०एम०आर० प्लांट स्थापित करने हेतु प्रति प्लांट (इकाई) रुपये 383.00 लाख (रुपये तीन करोड़ तेरासी लाख) की दर से कुल राशि रुपये 1915.00 लाख (रुपये उन्नीस करोड़ पन्द्रह लाख) मात्र व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त सात निश्चय–3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण राशन की उपलब्धता हेतु कॉम्फेड के संघों एवं इकाईयों में 20 MTPD क्षमता के 05 साईलेज–सह–टी०एम०आर० प्लांट स्थापित करने हेतु प्रति प्लांट (इकाई) रुपये 383.00 लाख (रुपये तीन करोड़ तेरासी लाख) की दर से कुल राशि रुपये 1915.00 लाख (रुपये उन्नीस करोड़ पन्द्रह लाख) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में नस्ल सुधार कार्यक्रम के द्वारा उच्च अनुवांशिक गुण वाले पशुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, परन्तु पशुपालकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण संतुलित राशन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होने के परिणामस्वरूप पशुओं में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण पशु बांझपन के शिकार हो जाते है एवं उच्च अनुवांशिक गुण होने के बावजूद गुणवत्तापूर्ण दूध का उत्पादन नहीं कर पाते है। उक्त से बचाव हेतु पशुपालकों के द्वारा खनिज लवण मिश्रण (मिनरल मिक्सचर), हरा चारा, पशु आहार (कैटल फीड), साईलेज एवं टोटल मिक्स राशन (टी०एम०आर०) का उपयोग करना आवश्यक है। उपरोक्त सभी अवयव की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कॉम्फेड के संघों एवं इकाईयों में 20 मी० टन क्षमता के कुल 5 साईलेज–सह–टी०एम०आर० प्लान्ट स्थापित की जा रही है। प्रति साईलेज–सह–टी०एम०आर० प्लान्ट की कीमत 3.83 करोड़ रुपये होगी।

3. इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालक को गुणवत्तापूर्ण संतुलित राशन, खनिज लवण मिश्रण (मिनरल मिक्सचर), साईलेज एवं टोटल मिक्स राशन (टी०एम०आर०) उपलब्ध कराना है।

4. इस योजना का क्रियान्वयन कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जायेगा।

5. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक, गव्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

6. इस योजना अंतर्गत सचिवालय कोषागार से स्वीकृत राशि की निकासी कर निदेशक, गव्य के द्वारा कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में एकमुस्त हस्तान्तरित किया जायेगा एवं स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से कॉम्फेड, पटना द्वारा व्यय किया जायेगा।

7. मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–02, उप शीर्ष–0105 –आधुनिक तकनीकों से डेयरी का समग्र विकास, प्रसंस्करण एवं विपणन तंत्र सुदृढ़ीकरण सात निश्चय–3, विपत्र कोड 02–2404007890105, विषय शीर्ष–0105.31.05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से विकलनीय होगा।

8. दिनांक–28.07.2026 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है (पृष्ठ 45–44/प०)।

9. चूँकि यह योजना सात निश्चय–3 अन्तर्गत एक नई योजना है। योजना का लागत मूल्य रुपये 15.00 करोड़ से अधिक एवं 30.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका सं०–6 एस०एस०(6)74/2026 के पृष्ठ–08/टि०, दिनांक–19.08.2026 एवं माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्राप्त है कि विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना में राशि का व्यय नियमानुसार राज्य स्कीम अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित विपत्र कोड के संगत विषय शीर्ष में उपबंधित राशि के अधीन किया जाय। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)74/2026 के पृष्ठ–24/टि०, दिनांक–28.09.2026.

10. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०–6 एस०एस०(6)74/2026 के पृष्ठ–07/टि० तथा डायरी सं०–530, दिनांक–06.08.2026.

11. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं

हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

12. वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)74 / 2026–5470 / पटना–15, दिनांक–08 / 10 / 2025.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा / बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)74 / 2026–5470 / पटना–15, दिनांक–08 / 10 / 2025.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)74 / 2026–5470 / पटना–15, दिनांक–08 / 10 / 2025.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना / निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)74 / 2026–5470 / पटना–15, दिनांक–08 / 10 / 2025.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा / योजना शाखा / लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)74 / 2026–5470 / पटना–15, दिनांक–08 / 10 / 2025.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / योजना शाखा–06 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)74 / 2026–5470 / पटना–15, दिनांक–...08 / ..10. / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/10

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)74 / 2026– 5470 / पटना–15, दिनांक–...08 / ..10 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/10

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी

सात निश्चय–3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण राशन की उपलब्धता हेतु कॉम्फेड के संघों एवं इकाईयों में 20 MTPD क्षमता के 05 साईलेज–सह–टी०एम०आर० प्लांट स्थापित करने हेतु प्रति प्लांट (इकाई) रुपये 383.00 लाख (रुपये तीन करोड़ तेरासी लाख) की दर से कुल राशि रुपये 1915.00 लाख (रुपये उन्नीस करोड़ पन्द्रह लाख) मात्र व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

विपत्र कोड 02–2404007890105,, विषय शीर्ष–0105.31.05 –सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण मद।

(राशि लाख में)

क्र. सं.	विवरणी	वित्तीय वर्ष 2026–27 में योजना हेतु स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार
1	2	3	4	5
1	साइलेज–सह–टी०एम०आर० प्लांट	1915.00	निदेशक, गव्य या इनके द्वारा प्राधिकृत/नामित पदाधिकारी।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना।
	कुल :–	**1915.00**		

कुल रुपये (उन्नीस करोड़ पन्द्रह लाख) मात्र।

5470
08/10/26

8/10

सरकार के संयुक्त सचिव

5 Typed by Sanjay Kumar